क्रम-संख्या–126

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०–डब्लू०/एन०पी०–91/2011–13
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–1, खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बुधवार, 04 जुलाई, 2012
आषाढ़ 13, 1934 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार
विधायी अनुभाग–1

संख्या 530/79-वि०-1-12-1(क)27-2011
लखनऊ, 04 जुलाई, 2012

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने श्री रामस्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2011 पर दिनांक 06 मार्च, 2012 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2012 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है :–

श्री रामस्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2011
(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2012)
(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

हदौरी, देवा–लखनऊ रोड, जिला–बाराबंकी में श्री रामस्वरूप मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा प्रायोजित एक अध्यापन विश्वविद्यालय स्थापित करने और उसको निगमित करने तथा उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:–

1- यह अधिनियम श्री रामस्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश अधिनियम 2011 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम

संख्या–1084/सत्तर–1–2012–20(3)/2010

प्रेषक,

अनिता मिश्र,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

श्री पंकज अग्रवाल,
मैनेजिंग ट्रस्टी,
श्री रामस्वरूप मेमोरियल चेरिटेबुल ट्रस्ट,
बी0–987, सेक्टर–ए, महानगर,
लखनऊ।

27/8

उच्च शिक्षा अनुभाग–1

लखनऊ : दिनांक : 27 अगस्त, 2012

विषय:– श्री रामस्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश का संचालन के प्रारम्भ किये जाने हेतु प्राधिकार–पत्र निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–एस.आर.एम.यू./एम.टी./यू.पी.गोवर्मेंट/01 दिनांक 12–7–2012 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा श्री रामस्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2011 की धारा–5 के अन्तर्गत श्री रामस्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश का संचालन शैक्षणिक सत्र 2012–13 से प्रारम्भ करने हेतु प्राधिकार–पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय श्री रामस्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2011 की धारा–5 में निहित शक्ति का प्रयोग करते हुए श्री रामस्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश का संचालन शैक्षणिक सत्र 2012–13 से प्रारम्भ करने हेतु एतद्द्वारा प्राधिकार–पत्र निर्गत करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

भवदीया,

(अनिता मिश्र)
विशेष सचिव।